संख्या-**519** /2024/698/41-1-2024-001-**सी0एन0**-1764989-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2024

विषय:-जनपद फिरोजाबाद के ब्लॉक मदनपुर के ग्राम डडिया मई में स्थित श्री कृष्ण मंदिर के पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8969/6-1-1(360)/2023-24, दिनांक 20.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एक ही परियोजना के दो शासनादेश निर्गत होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-156/4621/41-1-2023-CN-1749615-2023, दिनांक 16-02-2024 को निरस्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद फिरोजाबाद के ब्लॉक मदनपुर के ग्राम डडिया मई में स्थित श्री कृष्ण मंदिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-156/4621/41-1-2023-CN-1749615-2023, दिनांक 16-02-2024 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
5. विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, ललित कला अकादमी, लखनऊ ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. उप निदेशक, पर्यटन (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-7, 8, 9 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, आगरा मण्डल, आगरा।
12. संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
14. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।